रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया	डॉ. हेमलता आंकोदिया	घनश्याम गंगवाल	विनोद कुमार गहनोलिया
I.A.S. (Retd.)	Associate Professor, Collage Education	Joint Director Tourism (Retd.)	Chief Manager SBI (Retd.)
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
9664 139817	9414 938449	9414 012211	9414 149816

क्रमांक : एफ/अजाक/62../2020/1695 दिनांक : 31.08.2020

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :– SC/ST वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति में आरक्षण हेतु अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.09.2013 के प्रावधानो को सही रूप से लागू कराने एवं कर्नाटक सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी आरक्षण अधिनियम बनाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4-A) में आरक्षित वर्ग के कार्मिकों हेतु पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था करते हुए 85 वें संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि पदोन्नति पर उनकी परिणामिक वरिष्ठता यथावत रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम नागराज के निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना में श्रीमान द्वारा आरक्षित वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए भटनागर समिति का गठन किया जाकर अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछडापन तथा प्रशासनिक दक्षता के तीनों बिन्दूओं पर परीक्षण के आधार पर दिनांक 11.09.2011 को पदोन्नति में आरक्षण एवं रोस्टर पोइन्ट पूर्ण होने तक पदोन्नति में आरक्षण मय पारिणामिक वरिष्ठता एवं उसके पश्चात रिप्लेसमेंट व्यवस्था हेतु अधिसूचना जारी कि गई। राज्य के समस्त आरक्षित वर्ग के सदस्य श्रीमान के इस कार्य के लिए हदय से आभारी है।

राज्य सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के पश्चात अभी तक इसे लागू करने के लिए कोई नियम/अधिनियम नही बनाए गए है। नियमों के अभाव में विभिन्न विभागों में कुछ अधिकारियो द्वारा पदोन्नती में आरक्षण के प्रावधान की गलत व्याख्या कर आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नती से वंचित किया जा रहा है। जिसके कारण SC/ST वर्ग के कार्मिको को नुकसान होने से उनमें असंतोष उत्पन्न हो रहा है। निम्न बिंदुओं पर अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.09.2013 के कम में नियमों में स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए :–

(अ) SC/ST वर्ग के कार्मिकों का पर्याप्त प्रतिनिधत्व मिलने के बाद "प्रतिस्थापन" का सिंद्धान्त लागू करने बाबत् :–

अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार SC/ST वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में पर्याप्तता (SC 16%, ST 12%) होने एवं रोस्टर बिन्दु पूर्ण होने तक पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया है। रोस्टर पॉइन्ट पूर्ण होने के पश्चात् इन वर्गो के लिए चिन्हित (earmarked) रिक्ति होने पर theory of replacement लागू होगी किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ होने पर भी उसे पदोन्नत नही कर, उससे सेवा में प्रवेश के समय का सामान्य वर्ग का कनिष्ठ कार्मिक पदोन्नत कर दिया जाता है। उक्त अधिसूचना में 16 व 12 प्रतिशत का प्रावधान प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता निर्धारित

करने के लिए किया गया है। यह SC/ST वर्ग के कार्मिको के लिए अनुपातिक सीमा नहीं है। किन्तु विधि प्रावधानो का गलत व्याख्या करते हुए उक्त वर्गो के राजसेवक को सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्टता होने के बावजूद उक्त सीमा की आड ली जाकर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है। यह स्थिति आरक्षण के प्राबधान के विरूद्ध तो है ही, नेसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के प्रतिकूल भी है।

(ब) आरक्षित बिन्दु को भरे जाने के पश्चात किसी कार्मिक की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति से हुई रिक्ति प्रतिस्थापन के सिद्धान्त के आधार पर SC/ST के लिए रिक्त नहीं मानना।

यह अवधारणा भी अनुचित है। अधिसूचना दिनांक 11.9.2011 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब रोस्टर बिन्दु पूर्ण हो जाते है, तब आरक्षित श्रेणी की रिक्ति होने पर प्रतिस्थापन का सिद्धान्त (Theory of Replacement) लागू होगा। इस प्रकार संबंधित वर्ग के पात्र कार्मिक से ही ऐसी रिक्ति भरी जा सकती है। यह अधिसूचना सभी संवर्गो के लिए प्रभावी हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 9 से कम कुल संख्या वाले संवर्गो में यह सिद्धान्त प्रभावी नहीं है।

(स) राज्य सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता में, SC/ST वर्ग के वरिष्ठ कार्मिको को पदोन्नति हेतु, सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति तक इंतजार करवाना :–

अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.09.2013 के अनुसार SC/ST वर्ग के कार्मिक को वरिष्ठ होने के बावजूद भी निर्धारित प्रतिनिधित्व पूर्ण होने की दशा में अनारक्षित रोस्टर बिन्दु के प्रति तब तक पदोन्नत नहीं किया जायेगा जब तक की सामान्य श्रेणी के किसी कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति नहीं कर दी गई हो। यहां तक इस आधार पर पद रिक्त रखे जा रहे है किन्तु आरक्षित वर्ग के पात्र व वरिष्ठतम कार्मिक की सामान्य रोस्टर बिन्दु के प्रति पदोन्नति नहीं की जा रही है।

कार्मिक विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 24.06.2008 के बिन्दु संख्या 7.2 में इस बाबत स्पष्ट प्रावधान है – Therefore even if SC/ST quota of promotion is full, a SC/ST candidate is to be promoted against a non reserved post is case he is senior than a non reserved candidate. However he will be counted against the SC/ST quota and adjustment will be done as soon as possible to remove the excess.

इस प्रकार ऐसे मामलों में आरक्षित वर्ग के कार्मिक उस सीमा तक सामान्य के रूप से पदोन्नति पाने के अधिकारी है, जब तक कि इससे 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन न होता हो।

अगर सामान्य वर्ग का कनिष्ठ कार्मिक पदोन्नति का पात्र नही हैं या पदोन्नति हेतु एक ही पद उपलब्ध है या अनुशासनात्मक कार्यवाही से दण्डित है या आपराधिक प्रकरण चल रहा है या पदोन्नति को फोरगो कर दिया हैं ऐसी परिस्थितियों में SC/ST वर्ग के कार्मिक के सेवा में प्रवेश के समय वरिष्ठ होने के बावजुद सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कार्मिक के पदोन्नति के लिए पात्र होने तक रोका जाना न्यायसंगत नहीं है। वरिष्ठता होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के पात्र कार्मिक को सामान्य वर्ग के कार्मिक की पदोन्नति तक प्रतीक्षा करवाया जाना नैसर्गिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन है।

(द) यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक सरकार द्वारा श्रीमान की तरह ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम नागपाल के निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछडापन तथा प्रशासनिक दक्षता के तीनों बिन्दुओं पर एक्सरसाइज कराई जाकर पदोन्नति में आरक्षण हेतु नियम बनाए गए है। अतः श्रीमान से निवेदन है. कि आरक्षित वर्गो के हितों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के क्रम में उक्त बिन्दुओं पर कर्नाटक सरकार की तर्ज पर राजस्थान राज्य में भी आरक्षण अधिनियम बनाये जावें।

85वां संविधान संशोधन एंव तदनुरूप परिणामिक वरिष्टता की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 SC/ST कार्मिकों के हितों का पदोन्नति में संरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए हैं, न कि सामान्य अधिकारों में कटौती के लिए। पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान इन वर्गो के कार्मिकों का विशेषाधिकार देने के लिए है, न कि सामान्य कार्मिक के रूप में उपलब्ध अधिकार समाप्त करने के लिए है। अतः इनकी व्याख्या तदनुरूप ही की जानी चाहिए।

अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 एवं स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 13.09.2013 की स्पष्ट रूप से एवं सही व्याख्या के अभाव में SC/ST वर्ग के कार्मिकों की जलदाय विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, सांख्यिकी विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग आदि अनेक विभागों में पदोन्नति के प्रकरण लम्बित/विवादित चल रहें हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विसंगतियों के निराकरण की दृष्टि से नवीन परिपत्र जारी करने एवं आरक्षण संबंधी नियम बनाने हेतु कार्मिक विभाग को दिशा निर्देश जारी किये जाने का श्रम करें।

सादर।

भवदीय

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक